उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार–249404

संख्याः: 652/14/E-5/डी.आर./ग0प0/2023–24 दिनाँक :: 13 दिसम्बर, 2023

विज्ञप्ति

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक एवं गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा–2023 के अंतर्गत राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक एवं गन्ना पर्यवेक्षक के कुल रिक्त 91 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन के क्रम में प्रमुख तिथियां निम्नवत् है–

1. विज्ञापन प्रकाशन एवं ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि :: 14 दिसम्बर, 2023
2. ऑनलाइन आवेदन किये जाने की अंतिम तिथि :: 03 जनवरी, 2024 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)

प्रश्नगत पदों हेतु इच्छुक/पात्र अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित विस्तृत विज्ञापन में वर्णित समस्त शर्तों/निर्देशों का भली–भांति अवलोकन करना सुनिश्चित करें। ऑनलाइन आवेदन करते समय उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु अभ्यर्थी ukpschelpline@gmail.com पर ई–मेल कर सकते हैं।

-sd-

(गिरधारी सिंह रावत)

सचिव।

	# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार–249404 ***Website: psc.uk.gov.in***

विज्ञापन संख्या :: A-3/DR/G.D.S. & S.C.S./E-5/2023-24

राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक एवं गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा–2023

(Government Dairy Supervisor and Sugar Cane Supervisor Examination- 2023)

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	–	14 दिसम्बर, 2023
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	–	03 जनवरी, 2024 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
आवेदन शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	–	03 जनवरी, 2024 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)

अति महत्वपूर्ण निर्देश :–	
1.	अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाईन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।
2.	अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् **दिनांक 03 जनवरी, 2024** तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह मानी जायेगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाईन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में (Result Declaration Date) के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो। विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी।
3.	अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र को सही–सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
4.	फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/आरक्षण सम्बन्धी आदि) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।

5.	ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा की गयी प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन (**Edit/Correction**) किये जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जायेगा। अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें, ऑनलाईन आवेदन की प्रविष्टियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों के नाम/जन्म तिथि/श्रेणी/उपश्रेणी/लिंग आदि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के उपरांत मात्र एक बार अवसर प्रदान किया जायेगा। विज्ञापन के बिन्दु संख्या–10(पृष्ठ–11) (संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया) में उल्लिखित प्राविधानानुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन/परिवर्तन (**Edit/Correction**) किया जायेगा। अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि भविष्य में किसी भी असुविधा से बचने के लिए उक्त संशोधन/परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि/दावे को संशोधित/परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
6.	प्रश्नगत परीक्षा हेतु सिर्फ ऑनलाईन आवेदन–पत्र Net Banking/Debit Card/ Credit Card/UPI के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार्य होगा। अन्य किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
7.	अभ्यर्थी परीक्षा योजना के लिए परिशिष्ट–01, पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट–02, आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु परिशिष्ट–03 (क, ख, ग, घ, ङः), न्यूनतम अर्हक अंक हेतु परिशिष्ट–04, परीक्षा केन्द्र/जनपद के चयन हेतु परिशिष्ट–05, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु परिशिष्ट–06, तथा 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु परिशिष्ट–07, अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन–पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु अभ्यर्थी के अभिलेखों के साथ संलग्न की जाने वाली चेक–लिस्ट हेतु परिशिष्ट–08।
8.	**i-** आवेदन के प्रारम्भिक चरण में ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रकार का प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में जमा/प्रेषित नहीं किया जाना है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। **ii.** प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित परीक्षा योजना/पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन किया जाएगा। **iii.** आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन–पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण–पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। **iv.** विज्ञापन में उल्लिखित शर्तानुसार यदि ऑनलाईन आवेदन–पत्र में अभ्यर्थी के दावे तथा प्रमाण–पत्रों में भिन्नता अथवा कमी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। **v.** लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन पत्र में किए गए दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा–शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन,

	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022 के **भाग–नौ तथा ऑनलाईन आवेदन–पत्र एवं अभिलेखों की सन्निरीक्षा हेतु मार्गदर्शिका–2022** में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाईट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा। **vi. अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनायें ई–मेल या एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई0 डी0 ही आवेदन पत्र में भरें।**
9.	अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाईन आवेदन करना सुनिश्चित करें।
10.	प्रश्नगत लिखित परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के **परिशिष्ट–04** पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को उनकी दावित आरक्षण श्रेणी / उप–श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही मेरिट (MERIT) के आधार पर प्रवीणता–सूची हेतु विचारित किया जायेगा।
11.	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाईट psc.uk.gov.in तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित की जायेगी।
12.	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा–शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन किया जायेगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावे से सम्बन्धित अभिलेखों शैक्षणिक, आरक्षण आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13.	प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे, अपितु ऑनलाईन प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाईट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाईट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति, राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाईट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।
14.	उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 32/XXXVI(3)/2023/04(01)/2023 दिनांक 11 फरवरी, 2023 के क्रम में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–4 के पत्रांक–16/XXX(4)/2023-03(27)/2022 दिनांक 13 फरवरी, 2023 द्वारा **उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश–2023** प्रख्यापित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश–2023 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।
15.	**आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति (EWS) प्रमाण–पत्र वित्तीय वर्ष–2022–23 की आय की गणना के आधार पर जारी होना चाहिये तथा आवेदन करने की अन्तिम तिथि के पश्चात जारी नहीं होना चाहिए।** **इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रमाण–पत्र वित्तीय वर्ष–2023–24 हेतु मान्य हो ।**
16.	उस दशा में जहाँ किसी पद के लिए अर्हता / योग्यता के अंतर्गत शैक्षिक / तकनीकी अर्हता के साथ वांछित अवधि का व्यवहारिक / अन्य अनुभव भी विद्यमान है, ऐसे व्यवहारिक / अन्य

	अनुभव की वांछित अवधि अनिवार्य शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात होनी चाहिये। व्यवहारिक/अन्य अनुभव के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रमाण–पत्र विज्ञापन में की गयी अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिये तथा आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात जारी नहीं होना चाहिए।
17.	दिव्यांगता प्रमाण–पत्र, इस विज्ञापन में विद्यमान **परिशिष्ट–03** में दिये गये दिव्यांगजन प्रमाण–पत्र के प्रारूप में, दिव्यांगता की श्रेणी के स्पष्ट उल्लेख सहित ही मान्य होगा।

राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक एवं गन्ना पर्यवेक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन पत्र अत्यधिक संख्या में प्राप्त होने पर स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित की जायेगी। उपयुक्त अभ्यर्थियों का अन्तिम चयन लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में प्राप्त अंकों से निर्मित मेरिट/प्रवीणता सूची के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार रिक्तियों के क्रम में किया जायेगा।

1. **रिक्तियों का विवरण** :– राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक एवं गन्ना पर्यवेक्षक पद की रिक्तियों की कुल संख्या **क्रमशः 13 एवं 78** है। रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण श्रेणीवार/उपश्रेणीवार निम्नवत् है :–

अ(i) पद का नाम :– राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक (कुल पदों की संख्या : 13)

श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज रिक्तियों का विवरण				
		उत्तराखण्ड महिला 30%	स्व0सं0से0 के आश्रित 2%	दिव्यांग 4%	पूर्व सैनिक 5%	उत्तराखण्ड प्रभावित/ अनाथ बच्चे 5%
अनारक्षित	11	04	00	01 (एच0एच0/ पी0डी0)	01	01
अनुसूचित जाति	00	00				00
अनुसूचित जनजाति	00	00				00
अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	02	01				00
योग	**13**	**05**	**00**	**01**	**01**	**01**

नोटः– समाज कल्याण, अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन के **शासनादेश सं0–48, दिनांक 05 जून, 2023 में प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन के लिए चिन्हांकित उपश्रेणियां एल0वी0/पी0बी0, एच0एच0/पी0डी0, ओ0ए0, एल0सी0, ए0ए0वी0/ए0वी0, डीडब्ल्यू0, टी0एच0, एच0पी0** है।

(ii) पद का स्वरूप– अराजपत्रित/स्थायी/समूह 'ग'/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(iii) शैक्षिक अर्हताएँ– उत्तराखण्ड डेरी विकास अधीनस्थ सेवा नियमावली 2021 के भाग–3 के नियम 8(2) में राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता निम्नवत् है–

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हताः– कृषि में कम से कम इण्टरमीडिएट परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष या उच्चत्तर तकनीकी अर्हता रखता हो।

(ख) अधिमानी अर्हता :–''अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने :–

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का **''बी'' अथवा "सी"** प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।''

(तीन) राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक पद के लिए ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें दुग्ध सहकारी समितियों के कार्यों का कम से कम 06 माह का अनुभव होगा, को अधिमान दिया जायेगा।

(iv) आयुः— राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक पद हेतु आयु सीमा 18 से 42 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की विनिश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2023 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2005 के पश्चात् का एवं 02 जुलाई, 1981 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

उक्त पदों हेतु उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 47/उ0अ0से0च0आ0/2022 दिनांक 08 जनवरी, 2022 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था, उन अभ्यर्थियों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि उक्त विज्ञापन के अनुसार 01 जुलाई, 2021 है।

नोट— उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित **विज्ञापन संख्या 47/उ0अ0से0च0आ0/2022 दिनांक 08 जनवरी, 2022** के क्रम में अधिकतम आयु सीमा के अन्तर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को वर्तमान विज्ञापन के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ तभी अनुमन्य किया जायेगा, जब अभ्यर्थी द्वारा वर्तमान विज्ञापन के निर्धारित कॉलम में उक्त विज्ञापन का रजिस्ट्रेशन संख्या का उल्लेख किया गया हो। अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख सत्यापन के समय पूर्व विज्ञापन सं0—47, दिनांक 08.01.2022 के क्रम में किये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी को वर्तमान विज्ञापन के सापेक्ष अधिकतम आयु सीमा के अन्तर्गत छूट का लाभ अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

ब(i) पद का नाम :— गन्ना पर्यवेक्षक (कुल पदों की संख्या : 78)

श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज रिक्तियों का विवरण				
		उत्तराखण्ड महिला 30%	स्व0सं0से0 के आश्रित 2%	दिव्यांग 4%	पूर्व सैनिक 5%	उत्तराखण्ड प्रभावित/अनाथ बच्चे 5%
अनारक्षित	52	15	00	03	05	02
अनुसूचित जाति	12	04				00
अनुसूचित जनजाति	05	02				00
अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	09	02				00
योग	**78**	**23**	**00**	**03**	**05**	**02**

नोटः— समाज कल्याण, अनुभाग—03, उत्तराखण्ड शासन के **शासनादेश सं0—48, दिनांक 05 जून, 2023 में प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन के लिए चिन्हांकित उपश्रेणियां एल0वी0/पी0बी0, डी0, एच0एच0/पी0डी0, ओ0एल0, सी0पी0, एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0ए0वी0/ए0वी0, एम0डीवाई0** है। **अवलोकनार्थ/ आदेशार्थ।**

(ii) पद का स्वरूप— अराजपत्रित/स्थायी/समूह 'ग'/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(iii) शैक्षिक अर्हताएँ— उत्तराखण्ड गन्ना पर्यवेक्षक सेवा नियम 2006 यथा संशोधित 2007 भाग—4 के नियम 8(1)(2) में गन्ना पर्यवेक्षक के लिए निम्नवत् अनिवार्य अर्हता का उल्लेख है—

(क) **अनिवार्य अर्हताः– (i)** माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तरांचल से इण्टरमीडिएट कृषि सहित परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो, या

(ii) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरांचल से हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो।

(iii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था का कृषि में दो वर्ष का डिप्लोमा रखता हो।

(ख) **अधिमानी अर्हता** :–''ऐसे अभ्यर्थी को जो कृषि में स्नातक उपाधि रखता हो अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा।''

(iv) आयु :– गन्ना पर्यवेक्षक पद हेतु आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की विनिश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2023 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2002 के पश्चात् का एवं 02 जुलाई, 1981 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

उक्त पदों हेतु उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 47/उ0अ0से0च0आ0/2022 दिनांक 08 जनवरी, 2022 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था, उन अभ्यर्थियों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि उक्त विज्ञापन के अनुसार 01 जुलाई, 2021 है।

नोट– उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित **विज्ञापन संख्या 47/उ0अ0से0च0आ0/2022 दिनांक 08 जनवरी, 2022** के क्रम में अधिकतम आयु सीमा के अन्तर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को वर्तमान विज्ञापन के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ तभी अनुमन्य किया जायेगा, जब अभ्यर्थी द्वारा वर्तमान विज्ञापन के निर्धारित कॉलम में उक्त विज्ञापन का रजिस्ट्रेशन संख्या का उल्लेख किया गया हो। अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख सत्यापन के समय पूर्व विज्ञापन सं0–47, दिनांक 08.01.2022 के क्रम में किये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी को वर्तमान विज्ञापन के सापेक्ष अधिकतम आयु सीमा के अन्तर्गत छूट का लाभ अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

2. आयु सीमा में छूट संबंधी प्राविधान–

(i) अधिकतम् आयु सीमा में छूट :– विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उपश्रेणी के अनुसार छूट अनुमन्य होगी। उत्तराखण्ड **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग** हेतु शासनादेश संख्या : 1399/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

(ii) उत्तराखण्ड के **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित** अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के **दिव्यांगजन** अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

(iii) अधिसूचना संख्या–6/1/72 कार्मिक–2, दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के **पूर्व सैनिकों** को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा कि वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है। शासनादेश सं0–406/XXX(2)2021-55(41)/2004, दिनांक 18 जनवरी, 2021 में यह उल्लिखित है कि शासनादेश सं0–124/XXX(2)2020-35(1)2001, दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत हैं। भारत सरकार के O.M. No. 36034/6/90-Estt. (SCT) दिनांक 02 अप्रैल, 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि "The ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt. in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt. jobs."

3. अन्य अनिवार्य/वांछनीय अर्हता :– उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता संशोधन नियमावली, 2019 के नियम–4 के उपनियम (2) के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो,

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाऐं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हो स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह ''ग'' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे',

परन्तु यह और कि राज्य के स्थायी निवासी जो अजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी **समूह ''ग''** के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

4. राष्ट्रीयता :– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिससे भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश कीनिया, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) तथा (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पत्र में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जाएगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उससे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जायें।

5. चरित्र :– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सकें। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणीः– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन/नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

6. वैवाहिक प्रास्थितिः– **सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए** ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो,

परन्तु, सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका वह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

7. शारीरिक स्वस्थताः– किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हों। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय 3 में दिये गये फण्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

8. आरक्षणः– उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उर्ध्वाधर आरक्षण तथा उत्तराखण्ड महिला, पूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी एवं उत्तराखण्ड प्रभावित/अनाथ बच्चों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा। ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण, शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। आरक्षण संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाईट psc.uk.gov.in देखें। ऑनलाईन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज श्रेणी/उपश्रेणी की सूचना प्रदान करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्तराखण्ड प्रभावित/अनाथ बच्चों, पूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित (डी0एफ0एफ0) तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(ii) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(iii) **अधिसूचना संख्या–64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019, दिनांक 07.03.2019 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु के लिए आरक्षण) अधिनियम 2019** में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राज्याधीन लोक सेवाओं और सीधी भर्ती के पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र जिस वर्ष हेतु निर्गत किया जाये, उस वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष की आय के आधार पर जारी होना चाहिए। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित व मान्य होना चाहिये।

(iv) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के **"परिशिष्ट–3"** में मुद्रित निर्धारित प्रारुप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाईन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ साक्षात्कार से पूर्व निर्धारित तिथि तक आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारुप का उल्लेख **"परिशिष्ट–3"** में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारुप पर जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

(v) दिव्यांगजन आरक्षण के लाभ हेतु दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम **40 प्रतिशत** की दिव्यांगता होना अनिवार्य है। दिव्यांगता की जिस श्रेणी/उपश्रेणी हेतु पद आरक्षित हैं, उसी दिव्यांगता की श्रेणी/उपश्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

(vi) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ शासनादेश संख्या–133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009, दिनांक 16.03.2009 के अनुसार सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्यकर्मियों को ही अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्या–124/XXX(2)/2020-53(01)/2001, दिनांक 22.05.2020 के प्रस्तर–8 के अनुसार पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संदर्भ में भारत सरकार के ***O.M. No. 36034/27/84-Estt. (SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would ceases*** का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक के क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र (Affidavit) अपने अन्य अभिलेखों के साथ आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

(vii) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को क्षैतिज आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर दिया जायेगा।

(viii) **शासनादेश संख्या–310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है।** अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को अवश्य वैध होना चाहिये।

(ix) अधिसूचना संख्याः–179 / **XXX(2)/2021-30(2)/2019,** दिनांक 31 अगस्त, 2021 द्वारा **उत्तराखण्ड प्रभावित / अनाथ बच्चों** को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।

(x) शासनादेश संख्याः 374(1) / XXX(2) / 2019–30(5) / 2014, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) से आच्छादित किन्तु अधिनियम की धारा 2(r) से अवमुक्त अर्थात 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें लिखने में कठिनाई है को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्धांत **परिशिष्ट–7** के साथ संलग्न है।

(xi) उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 09/XXXVI(3)/2023/72(1)/2022 दिनांक 10 जनवरी, 2023 के क्रम में **उत्तराखण्ड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम–2022 के प्रस्तर–3(1) व (2) के अनुसार उत्तराखण्ड अधिवासित महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।**

आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए अभ्यर्थी को जिलाधिकारी / अपर जिला मजिस्ट्रेट / नगर मजिस्ट्रेट / एस.डी.एम. / तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया **(Procedure to apply online)** :–

1. अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाईट **psc.uk.gov.in** या **ukpsc.net.in** पर जायें।
2. विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात **ukpsc.net.in** पर जाकर **Menubar** में **How to Apply** लिंक पर क्लिक करें। **How to Apply** पेज पर **Advertisement Details, Important Dates** एवं **Instructions for filling up online application form** का अवलोकन करने के पश्चात **Apply Now** बटन पर क्लिक करें।
3- **Apply Now** पर क्लिक करने के पश्चात् खुले **Registration** फॉर्म पर वॉछित, अपनी सही जानकारी भरकर **Login** हेतु **Password** बनाकर **Submit** पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी **Basic Information** प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें। यदि भरी हुई जानकारी सही है तो **I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same** पर **Tick** कर **Submit** पर क्लिक करें, अन्यथा **No, I want to change some details** पर **Tick** कर **Edit** पर क्लिक करें एवं संशोधित **detail** भरने के पश्चात् पुनः **Registration** फार्म **Submit** करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।
4. **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर **Primary Registration** पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं **Registered Mobile Number** एवं **Email** पर **Message** प्राप्त होगा। तत्पश्चात् स्क्रीन पर **Click here to login** के बटन पर क्लिक करें।
5. **Login** करने के पश्चात **Educational Details** पेज प्रदर्शित होगा। ततपश्चात् अभ्यर्थी **High School** का विवरण भर कर **Add Education Details** पर क्लिक करें, भरा गया विवरण **Add Education Detail** के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। गलत **Educational** विवरण भरने की स्थिति में ग्रिड में **Edit/Delete** के **Icon** पर क्लिक कर **Edit** अथवा **Delete** किया जा सकता है। इसी प्रकार **Intermediate, Graduate** व अन्य शैक्षिक अर्हताएं भरें। फॉर्म पर अन्य विवरण भर कर **Continue** पर क्लिक करें। उसके पश्चात **Photo & Signature to Upload** टैब पर **Photo, Signature** को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। **Photo, Signature** को **reupload** करने के लिए **I want to upload photo and signature Checkbox** पर क्लिक कर पुन **Photo, Signature** अपलोड किये जा सकते हैं।

6. **Photo, Signature** अपलोड होने के पश्चात **"I hereby declare that the photograph & signature are correct and accurate representation of myself" declaration** पर **Tick** कर **Continue** पर क्लिक करें। ततपश्चात् फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा। फार्म में भरे गये विवरण को सावधानी पूर्वक चेक कर लें। गलत भरे गये विवरण को **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फार्म पर पुनः वापस जाकर सही किया जा सकता है। वॉछित विवरण सही होने की स्थिति में घोषणा पर **Tick** करने के पश्चात् **Proceed Button** पर क्लिक करें। ततपश्चात् परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु **Pay Now Button** पर क्लिक कर, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें। **Print Application** बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त कर लें।
7. **Final Submission के उपरान्त आवेदन–पत्र** में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द **(Cancel)** कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। **रद्द किये गये आवेदन पत्र के सापेक्ष जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा।** आवेदन रद्द **(Application Cancel)** करने के लिए **Cancel My Application** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात एक नई विण्डो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात् घोषणा को **Tick** कर **Submit** बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु **Close** बटन पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात् अभ्यर्थी को पंजीकृत मोबाईल एवं ई–मेल पर ओ0टी0पी0 **(OTP)** प्राप्त होगा, जिसको कि **Enter OTP** वाली फील्ड्स पर दर्ज कर **Cancel Application** बटन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द **(Application Cancel)** करने के पश्चात् उस रद्द आवेदन **(Cancel Application)** के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोटः (1) **उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ अभ्यर्थी** हेतु कोई शुल्क देय नहीं है। किन्तु उक्त अभ्यर्थी को आवेदन पत्र पर डाटा भरने के बाद Final Submit बटन पर क्लिक कर आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। तत्पश्चात् आवेदन–पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकता है।

(2) **Final Submission से पूर्व** अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र में त्रुटि होने की दशा में **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फार्म में वापस **(Back)** जाकर त्रुटि में संशोधन किया जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन करते समय आने वाली तकनीकी समस्या **(Technical Issue)** के समाधान हेतु अभ्यर्थी **ukpschelpline@gmail.com** पर ई–मेल कर सकते हैं। **Final Submission** के पश्चात् आवेदन–पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(3) अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के पश्चात् **मोबाइल नम्बर Edit** नहीं किया जा सकता है।

10. संशोधन/परिवर्तन प्रक्रियाः–

ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन किये जाने हेतु दिशा–निर्देशः–

(i) ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् 05 कार्यदिवस के उपरांत **Edit/Correction** का लिंक खोला जाएगा।

(ii) **Edit/Correction** हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होगी।

(iii) जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है, केवल वह अभ्यर्थी ही अपने ई–मेल आई0डी0 एवं पासवर्ड से लॉग–इन कर पायेंगे।

(iv) लॉग–इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में **(मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 को छोड़कर)** आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे।

(v) अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन पत्र में **Edit/Correction** की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात् ही आवेदन पत्र में डाटा Update हो सकेगा।

(vi) **Edit/Correction** की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् Edited Data ही अंतिम माना जायेगा।

(vii) अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थियों को परिवर्तित श्रेणी/उपश्रेणी का शुल्क विज्ञापन की शर्तो के अनुसार देय होगा, किन्तु अगर अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी (डी0एफ0एफ0/उ0म0 इत्यादि) में बदलाव करता है जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उस उपश्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नही होगा। अभ्यर्थी को अन्य प्रविष्टियों में परिवर्तन/त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।

11. <u>शुल्क</u> :– प्रश्नगत् परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है :–

क्र0सं0 (S. No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन– शुल्क (Application Fees)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax)	कुल शुल्क (Total Fees)
01.	अनारक्षित	रू0 150	रू0 22.30	रू0 172.30
02.	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रू0 150	रू0 22.30	रू0 172.30
03.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	रू0 150	रू0 22.30	रू0 172.30
04.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति	रू0 60	रू0 22.30	रू0 82.30
05.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति	रू0 60	रू0 22.30	रू0 82.30
06.	उत्तराखण्ड प्रभावित/अनाथ बच्चे	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	–
07.	उत्तराखण्ड शारीरिक दिव्यांग (चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग)	कोई शुल्क नहीं	रू0 22.30	रू0 22.30

नोट :– उत्तराखण्ड राज्य के पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं उत्तराखण्ड महिला अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, **यथा**–अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का हो, उसे उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

12. <u>**अभ्यर्थियों के लिए चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश**</u> :–

(क) आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा/चयन प्रक्रियाः–

(1) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(2) अभ्यर्थियों हेतु Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 एवं प्रथम संशोधन–2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली, 2022 आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर उपलब्ध है।

(3) ऑनलाइन आवेदन–पत्र के साथ समस्त वांछित अभिलेख/प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में लिखित (वस्तुनिष्ठ) परीक्षा के उपरांत प्राप्त किए जायेंगे। **आयोग में प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2022 के आलोक में सम्पन्न की जायेगी,** जो आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है, जिसके महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैं:–

(i) अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र/उपाधि प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(ii) ऑनलाईन आवेदन में अधिमानी अर्हता का दावा करने पर परन्तु अधिमानी अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में अधिमानी अर्हता का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(iii) आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/भारत सरकार की सेवाओं हेतु जारी होने परंतु उत्तराखण्ड राज्य की सेवा में लागू न होने/ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात् का जारी होने के कारण स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में क्षैतिज आरक्षण का दावा किया गया है किन्तु आरक्षण सम्बन्धी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है अथवा क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात का जारी होने के कारण स्वीकार्य नहीं किये जायेगे तथा ऐसे अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(iv) अभ्यर्थी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में आवेदन को अपूर्ण मानते हुए अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। **अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आवेदन–पत्र/प्रमाण–पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान ऑनलाईन आवेदन पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।** अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाईट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाईट पर प्रसारित की जायेगी।

(ख) लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा से संबंधित निर्देशः–

(1) रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु **लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार)** परीक्षा के पूर्व स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करायी जा सकती है। स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को **लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार)** परीक्षा में प्रवेश दिया जायेगा।

(2) **लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार)** परीक्षा परिशिष्ठ–05 के नगरों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जा सकती है।

(3) गलत उत्तरों के लिए दण्ड–वस्तुनिष्ठ प्रश्न–पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा।

(i) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (उत्तर) हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए संबंधित प्रश्न हेतु निर्धारित अंकों का एक चौथाई अंक दण्ड रुप में काटा जायेगा।

(ii) किसी भी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक उत्तर दिया जाता है, भले ही उनमें से कोई उत्तर सही क्यों न हो तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा तथा इस हेतु दण्ड स्वरूप संबंधित प्रश्न का एक चौथाई अंक काटा जायेगा।

(iii) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(04) **लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार)** परीक्षा के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त् आयोग की वेबसाईट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर

कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व संबंधित उत्तर के संबंध में अपनी आपत्ति आयोग की वेबसाईट पर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त् प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रति–प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क रू0 50.00 का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति–प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी की आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण संबंधित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त् विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।

(05) लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।

(06) अँगूठे का निशान (Thumb Impression)– सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बायें अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दायें अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(07) स्क्रीनिंग परीक्षा (यदि आयोजित होती है तो) में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेणीवार / उपश्रेणीवार रिक्त पदों के सापेक्ष नियमानुसार अभ्यर्थियों को **लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार)** परीक्षा हेतु सफल घोषित किया जायेगा। स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक, लिखित परीक्षा के अंकों के साथ नही जोड़े जायेंगे। अंतिम चयन परिणाम **लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार)** परीक्षा में प्राप्त अंकों के मैरिट के आधार पर घोषित किया जायेगा। स्क्रीनिंग परीक्षा / लिखित परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रदर्शित किया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

(ग) अभिलेख सत्यापन सूची:– लिखित (वस्तुनिष्ठ) परीक्षा के अंकों से निर्मित मेरिट के आधार पर श्रेणीवार / उपश्रेणीवार पदों के क्रम में अभ्यर्थियों की अभिलेख सत्यापन सूची निर्गत की जायेगी। इस सूची के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि के लिए अभ्यर्थियों से मूल अभिलेख एवं उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रतियां व आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे।

(1) अभ्यर्थियों को उक्त आवेदन पत्र एवं अन्य प्रपत्र आयोग की बेवसाइट से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराये जायेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** पर प्रसारित की जायेगी।

(2) मूल प्रमाण–पत्र के सत्यापन के समय ही अभ्यर्थी को स्व–प्रमाणित पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

(3) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण–पत्र के सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र मूल रूप में अथवा छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

अभिलेखों की सन्निरीक्षा के क्रम में विज्ञापन के अनुसार अर्हता धारित न करने वाले अभ्यर्थियों को अनर्ह किया जायेगा, जिसकी सूचना आयोग की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(घ) चयन परिणाम:– अभिलेख सत्यापन सूची के अभ्यर्थियों में से अर्ह अभ्यर्थियों के चयन परिणाम पद की संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार घोषित किया जायेगा।

(ड) सामान्य निर्देशः—

(01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवानियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों / नियमावलियों / मैनुअल्स / मार्ग—दर्शक सिद्धान्तों एवं समय—समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(02) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** एवं प्रथम संशोधन—2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली—2022 (यथासंशोधित) आयोग की वेबसाईट **psc.uk.gov.in** पर उपलब्ध है।

(03) अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु प्रवेश—पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाईट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराये जायेगें। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाईट **psc.uk.gov.in** पर प्रसारित की जायेगी।

(04) यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन करने, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने इत्यादि में कोई तकनीकी समस्या आती है तो वह इन समस्याओं के निवारण हेतु आयोग की ई—मेल **ukpschelpline@gmail.com** पर संपर्क कर सकते हैं।

(05) केन्द्र अथवा राज्य सरकार / लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर सेवा नियोजक द्वारा निर्गत 'अनापत्ति प्रमाण—पत्र' अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा।

(06) न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, स्क्रीनिंग परीक्षा / लिखित परीक्षा में बुलाये जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना अभ्यर्थी को स्क्रीनिंग परीक्षा / लिखित परीक्षा के लिए बुलाये जाने अथवा चयन के लिए अधिकार नहीं देता है। **स्क्रीनिंग परीक्षा कराये जाने की दशा में एक वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षा आयोजित करायी जायेगी। स्क्रीनिंग परीक्षा / लिखित परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाईट पर प्रसारित की जायेगी।**

(07) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए पाये जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।

(08) **अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धितः—** कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा। **ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी**

परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश–2023 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(09) परीक्षा केन्द्र में आचरणः– कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करेगा तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था नहीं फैलायेगा तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान नहीं करेगा, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर–पुस्तिका पत्रक कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायेंगे।

(10) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, वैसी दशा में ही आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(11) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिए अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लघंन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन–पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(12) विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(13) हाईस्कूल प्रमाण–पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(14) यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन–पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जायेगा एवं आवेदन शुल्क Net Banking/Debit Card/ Credit Card/UPI के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(15) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules- 2013 यथा संशोधित –2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(16) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाहीः– अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या परिवर्तन या

अन्यथा फेरबदल नहीं करें अथवा जाली प्रलेख प्रस्तुत नहीं करें। यदि एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति पायी जाती है तो इस विसंगति के संबंध में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।

(17) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगाः—

1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कुटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं/पत्रक पर असंगत बात लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं/पत्रकों का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं/पत्रक को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल/अभिलेख परीक्षण कक्ष में मोबाइल फोन पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा 13. उपर्युक्त खंडो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (ग) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (घ) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ड़) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्व उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (च) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (छ) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(18) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(19) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

(20) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन का ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से पात्र है।

(21) अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक (स्क्रीनिंग) परीक्षा/मुख्य (लिखित) परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in का समय–समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(22) सम्बन्धित पदों हेतु परीक्षा/चयन परिणाम संगत सेवा नियमावली में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही तैयार किया जायेगा तथा चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात् ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

(23) अभ्यर्थी प्रारम्भिक (स्क्रीनिंग) परीक्षा/मुख्य (लिखित) परीक्षा के दौरान, अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में उल्लिखित आई0डी0 अपने साथ अवश्य रखें एवं मांगे जाने पर उक्त आई0डी0 की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(24) अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारुपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

-Sd-

(गिरधारी सिंह रावत)

सचिव।

परिशिष्ट–01

1. राजकीय (सरकारी) दुग्ध पर्यवेक्षक पद हेतु परीक्षा योजना/पाठ्यक्रम
लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

क्र0 सं0	भाग	विषय	कुल प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समय अवधि
1	भाग–1	सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिन्दी	50	50	02 घण्टा
	भाग–2	विषय आधारित	50	50	
कुल			**100**	**100**	

नोटः–उक्त वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षाओं में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative marking) पद्धति अपनाई जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये गलत उत्तर के लिए या अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिये गये उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का एक चौथाई अंक दण्ड के रूप में काटा जायेगा।

2. गन्ना पर्यवेक्षक पद हेतु परीक्षा योजना/पाठ्यक्रम
लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

क्र0 सं0	भाग	विषय	कुल प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समय अवधि
1	भाग–1	सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिन्दी	50	50	02 घण्टा
	भाग–2	कृषि विज्ञान	50	50	
कुल			**100**	**100**	

नोटः–उक्त वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षाओं में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative marking) पद्धति अपनाई जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये गलत उत्तर के लिए या अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिये गये उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का एक चौथाई अंक दण्ड के रूप में काटा जायेगा।

परिशिष्ट–02

1. राजकीय (सरकारी) दुग्ध पर्यवेक्षक हेतु परीक्षा योजना / पाठ्यक्रम (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

भाग–1

विषय :: सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिन्दी (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

प्रश्नों की संख्या–50 अधिकतम अंक–50

क–सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन

प्रश्नों की संख्याः 40 अधिकतम अंक : 40

1 **सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जानकारी** : सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी में प्रश्न विज्ञान एवं कंप्यूटर की सामान्य समझ एवं दैनिक जीवन में इनके अनुप्रयोग पर आधारित होंगे।

2 **भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन** : भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत प्रश्न; प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारतीय इतिहास की सामान्य जानकारी तथा भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन पर आधारित होंगे।

3 **भारतीय राज्य व्यवस्था** : भारतीय राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत प्रश्न; भारतीय राज्यव्यवस्था, संविधान एवं पंचायती राज पर आधारित होंगे।

4 **भारत का भूगोल एवं जनांकिकी** : इसके अन्तर्गत प्रश्न भारत के भौगोलिक, पारस्थितिकीय, सामाजिक–आर्थिक और जनांकिकीय पक्षों की सामान्य समझ पर आधारित होंगे।

5 **सम–सामयिक घटनाएं** : इसके अन्तर्गत प्रश्न उत्तराखण्ड राज्यीय तथा राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर आधारित होंगे।

6 **उत्तराखण्ड का इतिहास** : उत्तराखण्ड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः प्राचीनकाल (आरम्भ से 1200 ई0 तक): मध्यकाल (1200 से 1815 ई0 तक): प्रभावशाली राजवंश एवं उनकी उपलब्धियाँ, गोरखा आक्रमण एवं शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत एवं उसकी शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आन्दोलन में उत्तराखण्ड की भूमिका।

7 **उत्तराखण्ड की संस्कृति** : जातियां एवं जनजातियां, धर्म एवं लोक विश्वास, परम्पराएं एवं रीति–रिवाज, वेश–भूषा एवं आभूषण, मेले एवं त्यौहार, नृत्य, गायन एवं वाद्य यंत्र, खेलकूद, प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार पर आधारित होंगे।

8 **उत्तराखण्ड का भूगोल एवं जनांकिकीः** भौगोलिक स्थिति। उत्तराखण्ड में नदियां, पर्वत, जलवायु, वन संसाधन, मिटटी एवं बागवानी, प्रमुख फसलें, सिंचाई के साधन, प्राकृतिक एंव मानव जनित आपदायें एवं आपदा प्रबन्धन, जल संकट और जलागम प्रबन्धन, पर्यावरण एवं पर्यावरणीय आन्दोलन, उत्तराखण्ड की जनसंख्याः वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता एवं जनसंख्या पलायन।

9 <u>उत्तराखण्ड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन</u>– प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवं प्रमुख शिक्षण संस्थान, पर्यटन, खनिज तथा उद्योग, संसाधनों के उपयोग की वर्तमान स्थिति। उत्तराखण्ड में गरीबी व बेरोजगारी, उन्मूलन व आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएँ।

10 **सामान्य बुद्धि परीक्षण** :: सामान्य बुद्धि परीक्षण के अन्तर्गत बोधगम्यता, तार्किक एवं गणितीय क्षमता इत्यादि का परीक्षण सम्मिलित है।

A- <u>General Knowledge, General Studies</u>

No of Questions : 40 **MM: 40**

1 **General Science and Knowledge of Computer Operation:** Questions on General Science and Computer operation will cover general understating and application of science and Computers including matters of day to day observation.

2 **History of India and Indian National Movement:** Questions on history of India and Indian National Movement will be based on general understanding of ancient, mediaeval and modern India and India's freedom movement.

3 **Indian polity:** Questions on Indian polity will be based on Indian polity, Constitution and Panchayati raj.

4 **Geography and Demography of India:** Questions will be based on a general understanding of geographical, ecological, socio-economic aspects and demography of India.

5 **Current Events:** Questions will be based on important current events of Uttarakhand State and National.

6 **History of Uttarakhand:** Historical background of Uttarakhand: Ancient period (from earliest to 1200 AD) ; Mediaeval period (from 1200 to 1815 AD): Important dynasties and their achievements; Gorkha invasion and administration, British rule, Tehri State and its administration, role of Uttarakhand in the Freedom Movement of India.

7 **Culture of Uttarakhand:** Question will be based on Castes and tribes, religious and folk beliefs, traditions and customs, costumes and ornaments; Fairs and Festivals, dances, songs, musical instruments, sports, tournaments

8 **Geography and Demography of Uttarakhand:** Geographical Setup. Rivers, mountains, climate, soils, forest resources and horticulture and Major crops of Uttarakhand. Means of irrigation. Natural and man-made calamities and Disaster management. Water crises and watershed management, Environment and environmental movements. Population of Uttarakhand: Distribution, density, sex ratio, literacy and migration.

9 **Economic and natural resoures :** Education system of the State and important educational institutes; tourism, minerals and industries. the position of utiliszation of resources. Various schemes being implemented in Uttrarakhand for the eradication of poverty and unemployment.

10 **General intelligence test ::** In General Mental Ability, questions will includes test comprehension, reasoning and numerical ability.

ख–सामान्य हिन्दी

अधिकतम अंकः 10 प्रश्नों की संख्याः 10

स्वर एवं व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम–व्याकरण विचार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्ति, विराम चिह्न।

भाग–2

विषय आधारित

(वस्तुनिष्ठ प्रकार)

प्रश्नों की संख्या–50 अधिकतम अंक–50

पशुपालन का परिचय, भारतीय एवं विदेशी नस्ल की डेयरी पशुओं की विशिष्ट विशेषताएं और उनका प्रदर्शन, सामान्य डेयरी फार्म प्रथाएं – पहचान, सींग निकालना, बधिया करना, व्यायाम करना, संवारना, वजन करना। दूध दुहने की विधि, दूध दुहने की प्रक्रिया और गुणवत्तापूर्ण दूध उत्पादन के लिए प्रथाएँ। दूध में मिलावट और परिरक्षकों का पता लगाना। डेयरी संयंत्र में दूध का रिसेप्शन और उपचार (पूर्व प्रसंस्करण चरण) – रिसेप्शन, समरूपीकरण, दूध के भौतिक गुणों पर समरूपीकरण का प्रभाव, बैक्टोफुगेशन। दूध का संग्रह और परिवहन। ब्याने के समय पशुओं की देखभाल और नवजात शिशुओं का प्रबंधन। डेयरी फार्म रिकॉर्ड और उनका रखरखाव। डेयरी पशुओं के आवास की व्यवस्था और डेयरी फार्म परिसर में स्वच्छता और साफ–सफाई का रखरखाव। बाजार के दूध संयंत्र में उपयोग किए जाने वाले सामान्य डिटर्जेंट और सैनिटाइजर की ताकत। डेयरी पशुओं में होने वाली सामान्य बीमारियाँ, उनकी रोकथाम एवं नियंत्रण। दूध देने वाली एवं सूखी गायों एवं भैंसों का प्रबंधन। सामान्य आहार एवं चारे की पहचान। दूध उत्पादन के लिए खाद्य संसाधन और उनके पोषक मूल्य। जुगाली करने वालों का पाचन तंत्र और फीड ऊर्जा के उपाय, वयस्क जानवरों के लिए राशन तैयार करना। विकास एवं दूध

उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता। दूध का स्राव और दूध कम हो जाना। नर और मादा प्रजनन प्रणाली. वीर्य संग्रह, प्रसंस्करण, कृत्रिम गर्भाधान और भ्रूण स्थानांतरण और पशु सुधार में उनकी भूमिका। डेयरी पशुओं का दूध निकालना और दूध देने वाले उपकरणों की सफाई और स्वच्छता। भारत में पारंपरिक भारतीय दुग्ध उत्पाद की स्थिति और महत्व।

Part-2
Subject Based
(Objective Type)

No of Questions : 50 **MM: 50**

Introduction to animal husbandry, Distinguishing characteristics of India and exotic breed of dairy animals and their performance, General dairy farm practices - identification, dehorning, castration, exercising, grooming, weighing. Method of milking, milking procedure and practices for quality milk production. Detection of adulterants and preservatives in milk. Reception and treatment (pre processing steps) of milk in the dairy plant - reception, homogenization, effect of homogenization on physical properties of milk, bactofugation. Collection and transportation of milk.Care of animals at calving and management of neonates. Dairy farm records and their maintenance. Systems of housing dairy animals and maintenance of hygiene and sanitation at dairy farm premises. Strength of common detergents and sanitizers used in market milk plant. Common disease problems in dairy animals, their prevention and control. Management of lactating and dry cows and buffaloes. Identification of common feeds and fodders. Feed resources for milk production and their nutritive values. Digestive system of ruminants and measures of feed energy, Preparation of rations for adult animals. Nutrients requirements for growth and milk production. Milk secretion and milk let down. Male and

female reproductive system. Semen collection, processing, artificial insemination and embryo transfer and their role in animal improvement. Milking of dairy animals and cleaning and sanitation of milking equipments. Status and significance of traditional Indian milk product in India.

2.गन्ना पर्यवेक्षक पद हेतु पाठ्यक्रम
(वस्तुनिष्ठ प्रकार)

भाग–1

विषय :: सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिन्दी

(वस्तुनिष्ठ प्रकार)

प्रश्नों की संख्या–50 अधिकतम अंक–50

क–सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन

प्रश्नों की संख्याः 40 अधिकतम अंक : 40

1 **सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जानकारी** : सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी में प्रश्न विज्ञान एवं कंप्यूटर की सामान्य समझ एवं दैनिक जीवन में इनके अनुप्रयोग पर आधारित होंगे।

2 **भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन** : भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत प्रश्न; प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारतीय इतिहास की सामान्य जानकारी तथा भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन पर आधारित होंगे।

3 **भारतीय राज्य व्यवस्था** : भारतीय राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत प्रश्न; भारतीय राज्यव्यवस्था, संविधान एवं पंचायती राज पर आधारित होंगे।

4 **भारत का भूगोल एवं जनांकिकी** : इसके अन्तर्गत प्रश्न भारत के भौगोलिक, पारस्थितिकीय, सामाजिक–आर्थिक और जनांकिकीय पक्षों की सामान्य समझ पर आधारित होंगे।

5 **सम–सामयिक घटनाएं** : इसके अन्तर्गत प्रश्न उत्तराखण्ड राज्यीय तथा राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर आधारित होंगे।

6 **उत्तराखण्ड का इतिहास** : उत्तराखण्ड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः प्राचीनकाल (आरम्भ से 1200 ई0 तक): मध्यकाल (1200 से 1815 ई0 तक): प्रभावशाली राजवंश एवं उनकी उपलब्धियाँ, गोरखा आक्रमण एवं शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत एवं उसकी शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आन्दोलन में उत्तराखण्ड की भूमिका।

7 **उत्तराखण्ड की संस्कृति** : जातियां एवं जनजातियां, धर्म एवं लोक विश्वास, परम्पराएं एवं रीति–रिवाज, वेश–भूषा एवं आभूषण, मेले एवं त्यौहार, नृत्य, गायन एवं वाद्य यंत्र, खेलकूद, प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार पर आधारित होंगे।

8 <u>उत्तराखण्ड का भूगोल एवं जनांकिकीः</u> भौगोलिक स्थिति। उत्तराखण्ड में नदियां, पर्वत, जलवायु, वन संसाधन, मिटटी एवं बागवानी, प्रमुख फसलें, सिंचाई के साधन, प्राकृतिक एंव मानव जनित आपदायें एवं आपदा प्रबन्धन, जल संकट और जलागम प्रबन्धन, पर्यावरण एवं पर्यावरणीय आन्दोलन, उत्तराखण्ड की जनसंख्याः वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता एवं जनसंख्या पलायन।

9 <u>उत्तराखण्ड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन</u>— प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवं प्रमुख शिक्षण संस्थान, पर्यटन, खनिज तथा उद्योग, संसाधनों के उपयोग की वर्तमान स्थिति। उत्तराखण्ड में गरीबी व बेरोजगारी, उन्मूलन व आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएँ।

10 **सामान्य बुद्धि परीक्षण** :: सामान्य बुद्धि परीक्षण के अन्तर्गत बोधगम्यता, तार्किक एवं गणितीय क्षमता इत्यादि का परीक्षण सम्मिलित है।

A- <u>General Knowledge, General Studies</u>

No of Questions : 40 **MM: 40**

1 **General Science and Knowledge of Computer Operation:** Questions on General Science and Computer operation will cover general understating and application of science and Computers including matters of day to day observation.

2 **History of India and Indian National Movement:** Questions on history of India and Indian National Movement will be based on general understanding of ancient, mediaeval and modern India and India’s freedom movement.

3 **Indian polity:** Questions on Indian polity will be based on Indian polity, Constitution and Panchayati raj.

4 **Geography and Demography of India:** Questions will be based on a general understanding of geographical, ecological, socio-economic aspects and demography of India.

5 **Current Events:** Questions will be based on important current events of Uttarakhand State and National.

6 **History of Uttarakhand:** Historical background of Uttarakhand: Ancient period (from earliest to 1200 AD) ; Mediaeval period (from 1200 to 1815 AD): Important dynasties and their achievements; Gorkha invasion and administration, British rule, Tehri State and its administration, role of Uttarakhand in the Freedom Movement of India.

7 **Culture of Uttarakhand:** Question will be based on Castes and tribes, religious and folk beliefs, traditions and customs, costumes and ornaments; Fairs and Festivals, dances, songs, musical instruments, sports, tournaments and awards.

8 **Geography and Demography of Uttarakhand:** Geographical Setup. Rivers, mountains, climate, soils, forest resources and horticulture and Major crops of Uttarakhand. Means of irrigation. Natural and man-made calamities and Disaster management. Water crises and watershed management, Environment and environmental movements. Population of Uttarakhand: Distribution, density, sex ratio, literacy and migration.

9 **Economic and natural resoures :** Education system of the State and important educational institutes; tourism, minerals and industries. the position of utiliszation of resources. Various schemes being implemented in Uttrarakhand for the eradication of poverty and unemployment.

10 **General intelligence test ::** In General Mental Ability, questions will includes test comprehension, reasoning and numerical ability.

ख–सामान्य हिन्दी

अधिकतम अंकः 10 | प्रश्नों की संख्याः 10

स्वर एवं व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम–व्याकरण विचार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्ति, विराम चिह्न।

भाग–2
कृषि विज्ञान
(वस्तुनिष्ठ प्रकार)

प्रश्नों की संख्या–50 | अधिकतम अंक–50

सस्य विज्ञान की परिभाषा एवं विस्तार की संभावनाएं। कृषि फसलों का वर्गीकरण, फसल उत्पादन के सामान्य सिद्धांत। जलवायु परिवर्तन। सामान्य कृषि फसलों की खेती, सस्य क्रम। अनाज की फसलेंः गेहूं, जौ, चावलः तिलहन फसलेंः तोरिया, सरसों, मूंगफली, अलसी, सूरजमुखी; दलहनी फसलेंः चना, मटर, मसूर, राजमा, चारा फसलेंः जई, बरसीम, ज्वार, ल्यूसर्न; नकदी फसलेंः आलू, गन्ना। खरपतवार, कीट–पतंग, रोग एवं विकार प्रबंधन। अनाज, दलहन, चारा और नकदी फसलों की कटाई, प्रसंस्करण और उपज। मिट्टी के भौतिक एवं रासायनिक गुण। उर्वरकों का उपयोग, आवश्यक पोषक तत्व, जैविक और अकार्बनिक उर्वरक तथा फसलों एवं मिट्टी पर उनके प्रभाव। गली सड़ी देसी खाद और हरी खाद, सिंचाई के विभिन्न तरीके – बाढ़, बेसिन विधि, सीमा/पट्टी विधि, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई। अधिक नमी से हानि, अम्लीय एवं क्षारीय मिट्टियों के निर्माण को रोकना एवं उनका प्रबंधन।

प्रमुख सब्जियाँ जैसे आलू, बैंगन, मिर्च, टमाटर, फूलगोभी, पत्तागोभी, गांठगोभी, प्याज, तरबूज, भिंडी, मूली, गाजर, मटर; खीरा वर्गीय सब्जियाँ–खीरा, करेला, लौकी, खरबूजा, तोरई; जड़ वाली फसलें–गाजर, मूली शकरकंद, शलजम; फल सब्जियाँ–टमाटर, बैंगन। फलदार पौधों की संधाई एवं काट–छांट। फलों का गिरना, बहुभ्रूणता, पार्थेनोकार्पी और बेजोड़ता। फलों के उत्पादन में शामिल पद्धतियाँ : आम, अमरूद, संतरा एवं नींबू प्रजातीय फल, केला, अंगूर, लीची, पपीता, लोकाट, आंवला, बेर, कटहल, सेब, नाशपाती और आड़ू। बागानी फसलों की उत्पादन तकनीकें: नारियल, काजू, चाय, कॉफ़ी और कोको।

फार्म मशीनरी डिजाइन और सिद्धांत। विभिन्न प्रकार के हलों का अध्ययन – स्वदेशी, छेनी, रोटरी और डिस्क हल और उनकी लागत। जल उठाने वाले उपकरणों का चयन, निर्वहन, कमांड क्षेत्र, विभिन्न प्रणालियों की लागत। ट्रैक्टरों का वर्गीकरण और चयन, ट्रैक्टर के मुख्य घटकों और उनके कार्यों जैसे स्टीयरिंग, क्लच, ट्रांसमिशन गियर, ट्रैक्टर इंजन, हाइड्रोलिक नियंत्रण प्रणाली के बारे में प्रारंभिक ज्ञान। ट्रैक्टर, कटाई और थ्रेशिंग उपकरण की मरम्मत और रखरखाव।

कृषि अर्थशास्त्र–अर्थ और संभावनाएं। दायरा। उत्पादन के विभिन्न घटक जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और प्रबंधन, कृषि मूल्य नीति, फसल बीमा, सहकारिता के सिद्धांत, भूमि विकास बैंक। विस्तार शिक्षा सिद्धांत और उद्देश्य। सीखना और सिखाना। विस्तार और ग्रामीण विकास कार्यक्रम, कृषि विज्ञान केन्द्र, गैर सरकारी संगठन तथा ग्रामीण विकास के लिए स्व–सहायता उपागम।

गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी और सूअर की प्रमुख नस्लें। गाय और भैंस का शरीर विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान; अच्छी दुधारू गाय–भैंस, बैल और बैलों के लक्षण। गर्भवती गाय की देखभाल एवं प्रबंधन, कुक्कुट प्रबंधन। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन एवं स्वच्छता का रख–रखाव। पशु रोगों के उपचार/रोकथाम और नियंत्रण में उपयोग की जाने वाली सामान्य दवाएं और टीके; उपचार के लिए पशुओं को संभालना; बधियाकरण। ऑपरेशन फ्लड, दूध एवं दूध उत्पाद, मिलावटी दूध की पहचान। गाय और भैंस के दूध की संरचना और भौतिक–रासायनिक गुणों का विवरण। दूध की मात्रा एवं रासायनिक संरचना को प्रभावित करने वाले कारक। सामान्य आहार एवं चारे का वर्गीकरण, कम लागत वाला संतुलित आहार। पशु आहार सामग्री के प्रसंस्करण की विधियाँ। निस्पंदन, स्पष्टीकरण, बैक्टोफ्यूगेशन, मानकीकरण, समरूपीकरण, क्रीम पृथक्करण–सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए दूध का प्रसंस्करण। स्वदेशी दुग्ध उत्पाद–पनीर, छेना, घी, खोआ, दही। अन्य दुग्ध उत्पाद– क्रीम, मक्खन, आइसक्रीम, गाढ़ा दूध, दूध पाउडर, पनीर, डेयरी उत्पाद।

मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, वंशानुक्रम का गुणसूत्र सिद्धांत, अर्धसूत्रीविभाजन और माइटोसिस, आनुवंशिक सामग्री के रूप में न्यूक्लिक एसिड–संरचना। प्रतिकृति, आनुवंशिक कोड और ट्रांस्लेशन, उत्परिवर्तन–सहज और प्रेरित। प्रजनन तकनीको के संदर्भ में फसल पौधों में प्रजनन की विधि। फसल सुधार में जैव प्रौद्योगिकी। विटामिन ए डी, ई, के का वर्गीकरण, थायमिन, राइबोफ्लेविन और निकोटिनिक एसिड और पादप वृद्धि नियामक। कीट शरीर रचना :

टिड्डे का पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन, परिसंचरण, श्वसन और तंत्रिका तंत्र। फाइलम आर्थ्रोपोडा की विशेषताएं–विशेषकर श्रेणी इंसेक्टा के संदर्भ में। पौध रोगों का वर्गीकरण। रोगकारक फफूंद, जीवाणु, वायरस और सूत्रकृमि। जीवनाशक रसायनो के प्रयोग में खतरे। एकीकृत कीट प्रबंधन की बुनियादी जानकारी।

AGRICULTURE SCIENCE

No of Questions : 50 **MM: 50**

Definition and scope of Agronomy, Classification of field Crops, General principles of Crop production: Climate change. Agronomic cultivation of practices common agriculture crops, cropping patterns. Cereal Crops: Wheat, Barley, Rice: Oilseed Crops: Rapeseed, Mustard, Groundnut, Linseed, Sunflower; Pulse crops: Chick pea, field pea, Lentil, Rajma, Fodder Crops: Oat, Berseem, sorghum Lucerne; Cash Crops: Potato, Sugarcane. Weed, Insect-pests and disease management. Harvesting, Processing and yield of cereals, Pulse, Fodder and cash crops. Physical and chemical properties of soil. Use of fertilizers, Essential nutrients, Organic and inorganic fertilizers and their effects on crops and soil, FYM and green manuring, Irrigation methods - flooding, basin method, border /strip method, sprinkler and drip irrigation. Disadvantage of excess moisture, prevention of formation of acidic and alkaline soils and their management.

Major vegetables like Potato, Brinjal, chillies, tomato, Cauliflower, Cabbage, Knolkhol, Onion, Watermelon, Okra, Radish, Carrot, Pea; Cucurbits, bitter gourd, bottlegourd, muskmelon, ridge gourd; Root crops-carrot, radish sweet potato, turnip; fruit vegetables-tomato, brinjal. Pruning and training of fruit plants. Fruit drop, Polyembryony, Parthenocarpy and incompatibility. Practices involved in the production of fruits: Mango, Guava, lime and lemons, Banana, Grape, Litchi, Papaya, Loquat, Aonla, Ber, Jack Fruit, Apple, Pear and Peach: Production techniques of plantation crops: Coconut, Cashew nut, Tea, Coffee and Cocoa.

Farm machinery design and principles. Study of different types of ploughs-indigenous, chisel, rotary and disc plough and their cost. Selection of water lifting devices, discharge, command area, cost of different system. Classification and selection of tractors. Elementary knowledge about main components of tractor and their functions such as steering, clutches, transmission gears, Tractor Engine Hydraulic Control system. Repair and maintenance of tractor, Power tiller. Harvesting and threshing equipment.

Agricultural economics-meaning and scope. Various components of production such as land, labour, capital and management. Agricultural price policy, Crop Insurance. Principles of cooperation, land development banks. Extension Education-Principles and objectives. Learning and Teaching. Extension and Rural

Development Programmes including Krishi vigyan kendras, Non- Government Organization (NGO) and Self help group.

Major breeds of cow, buffalo, goat, sheep, poultry and Pig; Physiology and anatomy of cow and buffalo; characteristics of good milch cow and buffalo, bulls and bullocks. Care and management of pregnant cow, Poultry management. Clean milk production and maintenance of hygiene. Common medicines and vaccines used in treatment/prevention and control of animal diseases; handling of animals for treatment; Castration. Operation flood, Milk and Milk products, Identification of adulterated milk. Detail composition and physio-chemical properties of cow and buffalo's milk. Factors affecting quantity and chemical composition of milk. Classification of common feeds and fodders, low-cost balanced feeds. Processing methods of animal feed stuffs. Processing of milk-filtration, clarification, bactofugation, standardization, homogenization, cream separation-centrifugation. Indigenous milk products- paneer, chhena, ghee, khoa, dahi. Other milk products- cream, butter, ice-cream, condensed milk, milk powder, cheese, dairy by products.

Mendel's Laws of heredity, Chromosomal theory of inheritance, meiosis and mitosis, linkage and crossing over-types. Nucleic acid as genetic material. Mutation- spontaneous and induced. Mode of reproduction in crop plants in relation to breeding techniques. Biotechnology in crop improvement. Classification of Vitamin A, D, E, K, Thiamine, Riboflavin and Nicotinic acid and Plant growth substances. Insect Anatomy: Digestive, Excretory, Reproductive, Circulatory, Respiratory and Nervous systems of grasshopper. Characteristics of Phylum Arthropoda with special reference to Class Insecta; Classification of plant diseases and their management, Plant Pathogens: Fungi, Bacteria, Virus and Nematodes Preliminary knowledge of hazards related to pesticide use. Basic concept of Integrated Pest Management.

परिशिष्ट–03 "क"

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र।

प्रमाण–पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड की ....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ....तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .... तहसील ....नगर .... जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर ....

दिनांक : पूरा नाम ....

मुहर : पदनाम ....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/
उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट–03 "ख"

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील ....नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड के राज्य की .... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची–2 से अधिसूचना संख्या–22/16/92–का–2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ....तहसील .... नगर .... जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पदनाम ....

मुहर ....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट–03 "ग"

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम व पता)

(अधिसूचना संख्याः–64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च, 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या.................... वर्ष................ हेतु मान्य दिनांक.......................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पुत्र/पत्नी/पुत्री...ग्राम/मुहल्ला..पोस्ट ऑफिस.... .... जिला..................................... पिन कोड...........................उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी स्त्रोतों से वित्तीय वर्ष.............................की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक रू0 8.00 लाख (रूपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता हैः–

I. कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
II. आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..................................जो कि......................... जाति से हैं और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर

नाम....................

पदनाम........................

आवेदक की नवीनतम पासपोर्ट साइज का प्रमाणित फोटो

<u>परिशिष्ट–03</u> "घ"

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र

शासनादेश संख्या– 4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) .... पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) उपयंकित अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान : हस्ताक्षर ....

दिनांक : पूरा नाम...................................

पदनाम ....

मुहर ....

जिलाधिकारी ....

(सील) ....

परिशिष्ट–03

"ड:"

दिव्यांगजन प्रमाण–पत्र

संस्थान / अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या – ....

तारीख ....

निःशक्तता प्रमाण – पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु0 ....सुपुत्र / पत्नी / सुपुत्री ... .आयु.. लिंग............................ पहचान चिन्ह... निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगे (बी एल) – दोनां पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुॅच

(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बांहें (बी एल ए) – दोनों टॉगें और दोनों बाहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहुॅच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुॅच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

(i) बी – अंधता

(ii) एल वी0 / पी बी – कम दृष्टि / आंशिक दृष्टिहीन

ग. कम सुनाई देना

(i) डी–बधिर

(ii) पी डी – ऑशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। ....वर्षों .... महीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *

3. उनके मामले में निशक्तता का प्रतिशत .... है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:–

(i)	एफ–अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(ii)	पी पी–धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती है ।	हाँ/नहीं
(iii)	एल–उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(iv)	के सी–घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं	हाँ/नहीं
(v)	बी–झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(vi)	एस–बैठ कर कार्य कर सकते /सकती हैं।	हाँ/नहीं
(vii)	एस टी–खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हॉ/नहीं
(viii)	डब्लू–चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(ix)	एस ई–देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(x)	एच–सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(xi)	आर डब्लू–पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं

(डा0......................................)	(डा0......................................)	(डा0......................................)
सदस्य	सदस्य	सदस्य
चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

परिशिष्ट–04

राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक / गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा–2023 हेतु न्यूनतम् अर्हकारी अंक :–

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022 में निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्रवीणता सूची (मेरिट) के लिए अनिवार्य हैः–

क्र0 सं0	आरक्षण की श्रेणी	मुख्य / लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम् अर्हक अंक प्रतिशत में।
1.	अनारक्षित	**45%**
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	**40%**
3.	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	**35%**
4.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	**40%**

नोट :: अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही प्रवीणता–सूची हेतु विचारित किया जायेगा।

परिशिष्ट–05

राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक / गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा–2023 के लिए लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र / जनपद की सूची।

S. No.	District Name	City Name	City Code
01	Nainital	Haldwani	01
02	Haridwar	Haridwar	02
03	Dehradun	Dehradun	03

नोट :: आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार आवेदित नगरों में परीक्षा केन्द्र आंवटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अथवा अभ्यर्थियों की संख्या न्यून होने की दशा में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगर भी आवंटित किये जा सकते हैं। केन्द्र निर्धारण के उपरांत परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार के अनुरोध / प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

परिशिष्ट–06

शासनादेश संख्याः 374(1)/XXX(2)/2019–30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्वांत :–

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में Benchmark विकलांगता धारित अभ्यर्थी जो Blindness (अंधता), locomoter disability (Both arm affected-BA) (चलनक्रिया (दोनों हाथ प्रभावित)) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क घात)से ग्रस्त हैं तथा इसके अतिरिक्त वे समस्त अभ्यर्थी, जो देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत **परिशिष्ट–6(1)** प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करते हैं, को श्रुतलेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट–6(1)** की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट–6(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक को लाने का दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट–1 की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट–6(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

3. यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट–6(1)** प्रमाण पत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा तथा अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार होगा।

4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंतु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।

5. दिव्यांग अभ्यर्थी की परीक्षा (प्रारंभिक/स्क्रीनिंग/लिखित) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्नपत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।

6. श्रुतलेखक की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।

7. जिन परीक्षाओं में केलकुलेटर की सुविधा अनुमन्य होगी उन परीक्षाओं हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों को talking calculator की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी के मध्य संचार हेतु उपयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे (trailor frame, Braille slate, abascus, geometry kit, communication devices etc.) भी परीक्षा हेतु अनुमन्य होंगे ;उपरोक्त सभी उपकरण अभ्यर्थी द्वारा स्वयं लाये जायेंगे)।

8. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू–तल के निर्धारित परीक्षा–कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

सचिव।

परिशिष्ट–06 (1)

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs ………………….. (name of the candidate with disability), a person with ………………….. (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o …………………., a resident of ………………………....(Village/District/State) and to state that he/she has physical limition which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health care institution

(Name & Designation)

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal:

Place:

Date:

Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg. Visual impairment- Ophthalmologist, Locomotor disability Orthopedic specialist/PMR)

परिशिष्ट–06 (2)

Letter of Undertaking for using own Scribe

I …………………., a candidate with ………………….(name of the disability) appearing for the ………………….(name of the examination) bearing Roll No. …………………. at ………………….(name of the centre) in the District …………………. (name of the State). My qualification is ………………….

I do hereby state that …………………. (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his/her qualification is …………………. In case, subsequently it is found that his/her qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with disability)

Place:

Date:

परिशिष्ट–07

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) से आच्छादित किन्तु अधिनियम की धारा 2(r) से अवमुक्त अर्थात 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें लिखने में कठिनाई है, को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने हेतु दिशा निर्देश

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में श्रुतलेखक एव/या क्षतिपूर्ति समय की सुविधा लिखने में असमर्थ केवल ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा **परिशिष्ट–7(1)** पर निर्धारित प्रारूप पर राजकीय चिकित्सालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा कि अभ्यर्थी लिखने में असमर्थ है तथा अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु श्रुतलेखक की आवश्यकता है।

2. श्रुतलेखक की अनुमन्यता के सबंध में प्रेषित किया जाने वाला **परिशिष्ट–7(1)** पर निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण–पत्र निम्नवत गठित बहु–सदस्यीय समिति द्वारा निर्गत किया जाना अनिवार्य है–

- **i.** **Chief Medical officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer.....** अध्यक्ष
- **ii.** **Orthopaedic/PMR specialist**
- **iii.** **Neurologist** (उपलब्धता के आधार पर)
- **iv.** **Clinical Psychologist/Rehabilitation Psychologist/ Psychiatrist/ Special Educator**
- **v.** **Occupational therapist** (उपलब्धता के आधार पर)
- **vi.** समिति के अध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी की स्थिति के आधार पर नामित अन्य कोई सदस्य।

3. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी अथवा श्रुतलेखक आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक अभ्यर्थी को **परिशिष्ट–7(1)** प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पर्वू मिलवाया जाएगा। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में हरिद्वार होगा।

4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता सबंधित परीक्षा हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से एक स्तर कम होगी किन्तु किसी भी दशा में हाई स्कूल से न्यून नहीं होगी।

स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था किये जाने पर अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक श्रुतलेखक की 02 आवक्ष फोटो एवं 01 पहचान–पत्र के साथ **परिशिष्ट–7(2)** प्रमाण–पत्र एवं **परिशिष्ट–7(1)** प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

5. अभ्यर्थी को अपरिहार्य परिस्थितियों में श्रुतलेखक को परिवर्तित किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में पृथक–पृथक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा

सकता है, किन्तु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा मे ं अनुमन्य नहीं किया जाएगा।

6. अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत **परिशिष्ट–7(1)** प्रमाण–पत्र के बिन्दु संख्या–2 में अनुमोदित ऐसे सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति होगी, जिससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित नहीं होती हो।

7. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।

8. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा केन्द्र के भू–तल पर निर्धारित परीक्षा–कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

9. उक्त दिशा–निर्देश शासनादेश सख्ंया : 374(1)/XXX(2)/2019–30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में आयोग द्वारा अनुमोदित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबधंी मार्गदर्शिका सिद्धांत दिनांक 09 जून, 2020 से पृथक होगें।

सचिव।

परिशिष्ट–07 (I)

Appendix-07 (I)

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

This is to certify that, we have examined Mr./Ms./Mrs.…………………………………….(name of the candidate), S/o /D/o ……………………………..a resident of …………………………..……………………. (Vill/PO/PS/District/State), aged……… yrs, a person ………………………….………..(nature of disability/condition), and to state that he/she with has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is/are essential for the candidate to appear at the examination with the assistance of scribe.

3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid unto ______ (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopedic/ PMR specialist	Clinical Psychologist/ Rehabilitation Psychologist/psychiatrist/ Special Educator	Neurologist (if available)	Occupational therapist (if available)	Other Expert, as nominated by the Chairperson (If any)
(Signature & Name)				
Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/Chief District Medical Officer…………… Chairperson				

Name of Government Hospital/Health Care Centre with seal

Place:

Date:

परिशिष्ट–07 (II)

Appendix-07 (II)

Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.

I____________________, a candidate with______________(nature of disability/condition) appearing for the ________________(name of the examination) bearing Roll No. _____________________at_________________(name of the center) in the District ____________,___________(name of the State). My educational qualification is _______________.

2. I do hereby state that____________________ (name of the scribe) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.

3. I do hereby undertake that his qualification is________________. In case subsequently it is found that his qualifications is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification. I shall forfeit my right to the post or certificate/diploma/degree and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

(Counter signature by the parent/guardian, if the candidate is minor)

Place:

Date:

प्रारूप ''परिशिष्ट–क''

अधिमानी अर्हता हेतु अनुभव प्रमाण–पत्र

दुग्ध सहकारी समितियों के कार्यो का कम से कम 06 माह का कार्य अनुभव

कार्यालय का प्रतीक

(यदि उपलब्ध हो)

विभाग/कार्यालय का नाम :...
विभाग/कार्यालय का पताः...
दुग्ध सहकारी समिति का प्रकार (सरकारी, अर्द्धसरकारी, निजी):..
दुग्ध सहकारी समिति के पंजीकरण का तिथि : ....
दूरभाष संख्या :...
वेबसाइट :...
अनुभव का प्रकारः कार्य अनुभवः हाँ/नहीं

सन्दर्भ संख्या :– दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 .... पुत्र/पुत्री/पति श्री .... इस दुग्ध सहकारी समिति / संस्थान के कर्मचारी है /थे तथा उनके द्वारा किये गये कार्य अनुभव का विवरण निम्न प्रकार है :–

पद का नाम	से **DD/MM/YY**	तक **DD/MM/YY**	कुल अवधि **YY/MM/DD**	नियुक्ति की प्रकृति (स्थायी–नियमित/अस्थायी/अंशकालिक/संविदा/दैनिक भोगी/मानदेय आधारित आदि)	अनुभव की प्रकृति (कम से कम 06 माह का अनुभव)	वेतनमान एवं अन्तिम आहरित वेतन	कर्तव्य निर्वहन/प्रत्येक पद का संक्षिप्त अनुभव (कृपया विवरण दें, यदि आवश्यकता हो, संलग्न शीट में)	नियुक्ति का स्थान	अन्य
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त दर्शाये सभी तथ्य सत्य एवं सही हैं।

हस्ताक्षर तथा मुहर ....

सक्षम प्राधिकारी का नाम व पदनाम...

FORMAT Appendix-A

EXPERIENCE CERTIFICATE FOR ESSENTIAL QUALIFICATION

At least 06 monthsWork experience in a Dairy Co-operative Societies

Logo of Office

(If available)

Name of Deptt./Office :..

Address of Deptt./Office :..

Type of Dairy Co-operative Society (Govt. , Semi Govt. or Pvt.): ....

Date of Reg. of Dairy Co-operative Society ....

Telephone No. :..

Website :..

Type of Expereince : **Work Experience: Yes/No**

Dated : ....

Ref. No. -

This is to certify that Shri/Smt./Km. .... Son/Daughter/Husband of Shri... is/was a bonafide employee of this **Dairy Co-operative Societies** and his/her /Work Experience is as under:

Name of the post held	From DD/MM/YY	To DD/MM/YY	Total Period YY/MM/DD	Nature of appointment (Permanent- Regular/ Temporary/ Part-time/ Contract/Daily wages/ Honorary, etc.)	Nature of Experience: (At least 06 months Work experience)	Pay scale and last salary drawn	Duties performed/experience gained in brief in each post (Please give details, if need be, in attached sheet)	Place of posting	Others
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

It is certified that all the facts mentioned above are true and correct.

Signature & Seal...

Name And Designation of the Competent Authority.............................

राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक / गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा–2023

Check List

पदनाम – राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक / गन्ना पर्यवेक्षक अनुक्रमांक –

क्र0 सं0	प्रमाण पत्रों / अभिलेखों का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं (हां / नहीं)
01	ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति।	
02	विस्तृत आवेदन पत्र **(प्रपत्र संख्या–02)** अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
03	प्रमाणीकरण प्रपत्र **(प्रपत्र संख्या–03)** अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
04	देशना पत्रक **(प्रपत्र संख्या–04)** अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
05	**A-** आयु हाईस्कूल प्रमाण–पत्र के अनुसार 01 जुलाई 2023 तक **(जन्मतिथि 02.07.1981 से 01.07.2002 के मध्य)** – ....वर्ष..................माह................दिन	
06	हाईस्कूल अंकतालिका / प्रमाण–पत्र *	
07	इण्टरमीडिएट कृषि सहित अंकतालिका / प्रमाण–पत्र * **(गन्ना पर्यवेक्षक पद हेतु)**	
08	किसी मान्यता प्राप्त संस्था का कृषि में दो वर्ष का डिप्लोमा **(गन्ना पर्यवेक्षक पद हेतु)**	
09	इण्टरमीडिएट कृषि सहित अंकतालिका / प्रमाण–पत्र या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा का अंकतालिका / प्रमाण–पत्र **(राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक पद हेतु)**	
10	**अधिमानी अर्हता** **क– (राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक पद हेतु)** (i) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ii) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। (iii) दुग्ध सहकारी समितियों के कार्यों का कम से कम 06 माह का अनुभव। **ख– (गन्ना पर्यवेक्षक पद हेतु)** (i) कृषि में स्नातक उपाधि।	
11	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत् आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र। (एस0सी0 / एस0टी0 / ओ0बी0सी0 / ई0डब्लू0एस0)**	
12	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र। (उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / उत्तराखण्ड महिला / उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक / दिव्यांग / उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक	

	या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे)	
13	स्थायी निवास प्रमाण–पत्र।	
14	अभ्यर्थी यदि किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो, सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्रति।	
15	पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें, कि उनके द्वारा पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए है।	
16	जिन पूर्व सैनिकों द्वारा विज्ञप्ति संख्या **A-3/DR/GDS & SCS/E5/2023-24** दिनांकः **14 दिसम्बर, 2023** के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ लिया है वे आवेदित पद (ग्रेड–पे 2800) से न्यून में कार्यरत रहने संबंधी साक्ष्य के रूप में उनकी अद्यतन वेतन पर्ची (Salary Slip) अथवा संबंधी संस्था/विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड–पे संबंधी उल्लेख के प्रमाण–पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।	
17	विज्ञापन के बिन्दु सं0–03 में अन्य अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (समूह ग पद हेतु) के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित वांछित अर्हता (Required Eligibility) के अंतर्गत (Yes) चयनित किये गये निम्न बिन्दु/बिन्दुओं में से किसी एक के समर्थन में पुष्ट प्रमाण–पत्र/अभिलेख–	
	1.Is Your name registered in any District Employment Office located in Uttarakhand State? अथवा	
	2. Are You Employed? अथवा	
	3. Have You passed your High School and Intermediate or any other equivalent exams from and recognized institution situated in the State of Uttarakhand? अथवा 4.(i) Are you or your spouse or your parents regular employees of the Armed Forces/Paramilitary Forces serving in the state or Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा 4.(ii) Are you or your spouse or your parents regular employees of the State Government/Semi Government organisation serving on a regular basis in the state of Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
	4.(iii) Are you or your spouse or your parents regular employees of the Central Government organisation/Central Government Public service undertaking and are working regularly on the state of Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
	5.(i) Are you permanent resident of Uttarakhand but residing outside Uttarakhand for livelihood/education purpose? अथवा	
	5.(ii) Is your spouse or your parents permanent residents of Uttarakhand but are residing outside Uttarakhand for livelihood/education purpose?	
18	यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में।	

19	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमणित फोटोग्राफ।	
20	अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु पहचान पत्र यथा–आधार कार्ड／वोटर कार्ड／ड्राइविंग लाईसेंस आदि अवश्य लेकर आयें।	

* यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक–तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण–पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक–तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण–पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण–पत्र के स्थान पर जमा करना होगा।

** एस0सी0／एस0टी0／ओ0बी0सी0／ई0डब्लू0एस0 आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण–पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की **अंतिम तिथि 03 जनवरी, 2024 तक वैध** होना चाहिए। शासनादेश संख्या–310 दिनांक 26.10.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 प्रमाण–पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक ही है। **अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु जारी हों।**

* ई0डब्लू0एस0 प्रमाण–पत्र **वित्तीय वर्ष 2022–2023** की आय गणना के आधार पर निर्गत हुआ होना चाहिए।

नोट–आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थी उक्तानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र, विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या–02), प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या–03), देशना पत्रक (प्रपत्र संख्या–04) एवं समस्त अभिलेखों की छायाप्रति के 02 स्वप्रमाणित सेट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

दिनांक :

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर............................

अभ्यर्थी का नाम...................................